

## कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

क्रमांक:- सहायता/आ.बिजली/स्वीकृति/2021/6206

दिनांक: 17/12/2021

:- स्वीकृति आदेश :-

तहसील कार्यालय प्रतापगढ़/पीपलखुंट एवं धरियावद द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से पशुक्षति पर पीड़ित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है।


अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार प्रतापगढ़ की अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 06 (01) में वर्णित प्रावधानानुरूप पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आकाशीय बिजली गिरने से पशुक्षति होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु एतद द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र.स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01	श्री दुर्गा पिता हरजी बंजारा निवासी खेरमंगरी, बरडिया तहसील व जिला प्रतापगढ़	दिनांक 25.09.2021 को आकाशीय बिजली गिरने से 12 बकरियों की मृत्यु होने पर(12X3000)	36,000 /-रु.
02	श्री लक्ष्मण लाल पिता अमृतलाल भील निवासी बोरी-पी तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़	दिनांक 07.08.2021 को आकाशीय बिजली गिरने से बैल की मृत्यु होने पर	20,000 /-रु.
03	श्री धीरजमल पिता मंगला मईड़ा निवासी बोरी-पी तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़	दिनांक 07.08.2021 को आकाशीय बिजली गिरने से 1 भैंस की मृत्यु होने पर	30,000 /-रु.
04	श्री शंकरीया पिता वालिया मीणा निवासी मानपुर, आड़ तहसील धरियावद जिला प्रतापगढ़	दिनांक 20.09.2021 को आकाशीय बिजली गिरने से 1 भैंस की मृत्यु होने पर	30,000 /-रु.
<b>कुल योग</b>			<b>116,000 /-रु.</b>

(अक्षरे एक लाख सोलह हजार मात्र)

नोट:-

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:  
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01- सूखा, 800- अन्य व्यय, (03)- राहत कार्यों पर व्यय (02)- अग्नि सहायता, 12- सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।



(प्रकाश चन्द्र शर्मा)

जिला कलक्टर एवं प्रधान,


जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़

दिनांक: 17/12/2021

क्रमांक:- सहायता/आ.बिजली/स्वीकृति/2021/6207-213

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़/पीपलखुंट/धरियावद।
- परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़।
- कोषाधिकारी प्रतापगढ़।
- तहसीलदार, प्रतापगढ़/पीपलखुंट/धरियावद को भेज लेख है कि आप उक्त पीड़ित के नाम से किसी बैंक में संचालित बचत खाता के पूर्ण विवरण की सूचना मय बचत डायरी की छाया प्रतियों के 02 दिवस में इस कार्यालय को भिजवावे ताकि स्वीकृत राशि ऑन लाईन बिल द्वारा सीधे संबंधित के खाते में स्थानान्तरित की जा सके साथ ही स्वीकृत होने वाली राशि का उपयोग पशु क्रय करने के संबध में पीड़ित से शपथ पत्र भी लिये जाकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं प्रभारी  
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रतापगढ़